न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 55/2014 (जी.सी.एम.एस. 2014/00168)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. रूकमा देवी पुत्र उदाराम पत्नी कृष्ण राम जाति नायक निवासी गांव खोडा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ। 2. सुन्दर पुत्री उदाराम जाति नायक निवासी बुर्जमाहर तहसील अबोहर जिला फाज्लिका। 3. शांति पत्नी लक्ष्मण राम जाति नायक निवासी बाण्डा तहसील अनुपगढ।		1. देशराज पुत्र नानकराम जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1 रेशमा देवी पत्नी देशराज जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/2 मंगला पुत्र देशराज जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/3 सतपाल पुत्र देशराज जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 1/4 सुखदेव पुत्र देशराज जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. बृजलाल पुत्र नानकराम जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर। 3. देवराज पुत्र नानकराम जाति नायक निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 07.07.2014

उपस्थित अभिभाषक: 1.श्री रमेश चन्द गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री गुरदेव सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

--निर्णय-- **दिनांक: 23.05.2022**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 24 ओ भुट्टीवाला के खाता संख्या 17/75, 72/74, 104/101, 138 के मुरब्बा नम्बर 52 में 6.012 हेक्टैयर बारानी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 31 में वादिया के दादा तारूराम पुत्र खेताराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण के द्वारा पटवारी हलका के साथ साजबाज कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के दादा का नाम हटाकर उसमें कांट छांट कर अपने पिता का नाम दर्ज कर लिया। अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में कांट-छांट कर अपने पिता का नाम दर्ज करवाकर अपने पिता से वसीयत अपने नाम करवाकर अपने नाम नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जो कि अवैध एंव शून्य रिकॉर्ड की वसीयत नामान्तरण का प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कई बार कहा कि आप द्वारा राजस्व रिकॉर्ड अपने नाम आराजी का इन्द्राज करवा ली है। इसको राजस्व रिकॉर्ड में ठीक करवाले पहले तो वह टाल-मटोल करते रहे, परन्तु आज से लगभग 1 माह पूर्व साफ इन्कार हो गये। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि ताफैसला वाद अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण चक 24 ओ भुट्टीवाला के मुरब्बा नम्बर 52 के 23 बीघा 16 बिस्वा रकबा को रहन, बैय, वसीयत या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री गुरदेव सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

तारूराम के केवल एक ही पुत्र नानकराम था। लक्ष्मण राम, उदाराम, तारूराम के पुत्र व वारिसान नहीं है। अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में कोई कांट-छांट नहीं की है। प्रार्थीगण को रिकॉर्ड में कांट-छांट करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण को राजस्व अधिकारियों द्वारा सही तैयार किया गया है जो सही है। राजस्व रिकॉर्ड राजस्व सक्षम नानकराम पुत्र तारूराम था। नानकराम की मृत्यु के पश्चात मुताबिक वसीयत नानकराम उसके नाम की विवादित भूमि का हक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुआ। जो अब विवादित भूमि के खातेदार हो चुके है। विवादित भूमि पर बदस्तूर काबिज चले आ रहे है। प्रार्थीगण को विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में कांटछांट कर अपने पिता का नाम दर्ज नहीं करवाया। विवादित भूमि नानकराम की मृत्यु के पश्चात विरासत में वसीयत के तहत अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। अप्रार्थीगण विवादित भूमि किस तौर तौर काबिज चले आ रहे है। राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज है। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थीगण मौजूदा वाद ला पाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने बतौर उतराधिकारी वारिस मृतक तारूराम वाद पेश किया है। प्रार्थीगण को बतौर कानूनी वारिसान बतौर उतराधिकारी मृतक तारूराम के वाद पेश करने से पहले सक्षम सिविल न्यायालय से अपने आप को मृतक तारूराम के वारिसान उतराधिकारी घोषित करवाने की डिक्री प्राप्त करनी जरूरी है। जो प्रार्थीगण ने प्राप्त नहीं की है। वादीगण मृतक तारूराम के वारिस उतराधिकारी होने की डिक्री घोषित करवाने बिना मौजूदा वाद मय प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, और किया। प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात, जवाब प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर इस प्रकरण को निम्न 3 बिन्दुओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसम्मत समझते है।

1.प्रथम दृष्टया मामला- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विचारण करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि उक्त भूमि मिसल बन्दोबस्त के खाता संख्या 31 में वादिया के दादा तारूराम पुत्र खेताराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण के द्वारा पटवारी हलका के साथ साजबाज कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के दादा का नाम हटाकर उसमें कांट छांट कर अपने पिता का नाम दर्ज कर लिया। अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में कांट-छांट कर अपने पिता का नाम दर्ज करवाकर अपने पिता से वसीयत अपने नाम करवाकर अपने नाम नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया जो कि अवैध एवं शून्य रिकॉर्ड की वसीयत नामान्तरण का प्रार्थीगण के अधिकारों पर बेअसर है। जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा कथन किये गये कि तारूराम के केवल एक ही पुत्र नानकराम था। लक्ष्मण राम, उदाराम, तारूराम के पुत्र व वारिसान नहीं है।अप्रार्थीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में कोई कांट-छांट नहीं की है। राजस्व रिकॉर्ड राजस्व सक्षम अधिकारियों द्वारा सही तैयार किया गया है जो सही है। विवादित भूमि का खातेदार अकेला नानकराम पुत्र तारूराम था। नानकराम की मृत्यू के पश्चात मुताबिक वसीयत नानकराम उसके नाम की विवादित भूमि का हक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुआ। जो अब विवादित भूमि के खातेदार हो चुके है। प्रार्थीगण को बतौर कानूनी वारिसान बतौर उतराधिकारी मृतक तारूराम के वाद पेश करने से पहले सक्षम सिविल न्यायालय से अपने आप को मृतक तारूराम के वारिसान उतराधिकारी घोषित करवाने की डिक्री प्राप्त करनी जरूरी है। जो प्रार्थीगण ने प्राप्त नहीं की है। वादीगण मृतक तारूराम के वारिस उतराधिकारी होने की डिक्री घोषित करवाने बिना मौजूदा वाद मय प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। लिहाजा

उपखण्ड अधिकारी (रा.आ.से)
श्री करणपुर

प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से कोई हक प्राप्त होना है या नही यह तथ्य मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

2.सुविधा का संतुलनः- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नही दिया तो प्रार्थीगण/वादीगण को अधिकतम असुविधा होगी। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है। प्रार्थीगण/वादीगण मृतक तारूराम के वारिसान है या नहीं, यह साक्ष्य का विषय हैं। जो मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। लिहाजा प्रार्थीगण सुविधा के संतुलन को अपने पक्ष में साबित करने पूर्णतया सफल रहा है।

3.अपूरणीय क्षतिः- चूंकि पूर्व विवेचित दोनो बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन दोनों बिन्दू प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। चूकिं वादग्रस्त आराजी के संबध में अस्थायी व्यादेश नहीं दिया जाता तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे है। लिहाजा हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

-:आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाकर चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 71/75, 72/74, 104/101, 138/138, चारो खातो के मुरब्बा नम्बर 52 की कुल 6.021 हेक्टैयर भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में ताफैसला वाद परिवर्तन न करें एवं न ही उक्त आराजी का बेचान, रहन या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरण करें। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर